

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुन्झुनु

मु0न0

किस्म मु0

रज्जु दिनांक

निर्णय दिनांक

11/19

धारा 91

12.2.19

28.02.19

उनवान सरकार बनाम रघुवीर, जगदीश गुलाब पुत्र बालुराम जाति जाट नि0 ढाणी डागियान तह0 बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मामला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणी डागियान की राजकीय भूमि गै0मु0 रास्ता में ख0न0 1008 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0रास्ता मे से 90 वर्गमीटर भूमि पर रघुवीर, जगदीश गुलाब पुत्र बालुराम जाति जाट नि0 ढाणी डागियान तहसील बुहाना ने अवैध से मेड बनाकर व छडी डालकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित होकर प्रा0पत्र पेश किया गया कि उक्त अतिक्रमण स्वयं हटा लेगे।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काबिज नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये मेड बनाकर व छडी डालकर के दण्ड स्वरुप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/- रु बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/ वसुली/ की जाकर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसेला हो।

आज दिनांक 28.02.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

21

उप तहसीलदार

सिंधाना झुन्झुनु

न्यायालय के मुद्रांक नं 4
दिनांक 28/02/19 पर ह 307/19
के कार्यालय किये

श. नरेश्वर सिंघाना